सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114466

पत्रांक 003/17

दिनांक 11.01.2017

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

विषय : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियन) संशोधन अधिनियम 2015, की धारा 8A के अंतर्गत खनन पट्टा के अवधि विस्तार हेतु नीति निर्धारण के संबंध में.

कल दिनांक 10.01.2017 की मंत्रिपरिषद बैठक में उपर्युक्त विषय के संबंध में मैं अपना विचार रखना चाहता था. यह अवसर मुझे नहीं मिला. संसदीय प्रणाली में विचार विमर्श की असहिष्णुता का स्थान नहीं होना चाहिये. मंत्रिपरिषद के भीतर और बाहर सहकर्मियों के बीच प्रासंगिक मुद्दों पर विमर्श का अभाव सरकार संचालन का स्वस्थ लक्षण नहीं है. खैर !

राज्य में खनन पट्टों, खासकर लौह अयस्क खनन पट्टों, का मामला लंबे समय से विवादों और पेंचिदगियों से ग्रस्त रहा है. आप सहमत होंगे कि इससे राज्य की छवि धूमिल हुई है. वर्ष 2015 के आरम्भ में आपका एक वक्तव्य, संभवतः किरीबुरू से, अखबारों में आया था कि सरकार राज्य की सभी लौह अयस्क खनन पट्टों का लीज नवीकरण/अवधि विस्तार करेगी. उस समय मैंने कहा था कि ये खनन पट्टे इसके लायक नहीं है.

कुछ दिन बाद सरकार द्वारा इस बारे में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी. उस समिति की अनुशंसा पर सरकार ने इस वर्ष के आरम्भ में २१ खनन पट्टों को अस्वीकृत कर दिया, कारण कि सभी में अनियमिततायें पायी गईं, शर्तों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद सरकार ने सभी अस्वीकृत खनन पट्टों को अपने कब्जे में ले लिया. उस समय मैंने सुझाव दिया था कि इन पट्टों के निरसन के उपरांत खदानों का वैज्ञानिक क्षेत्र निर्धारण कर पट्टों का आवंटन नीलामी के माध्यम से कर देना श्रेयस्कर होगा.

इस बीच उनमें से तीन पट्टाधारी उच्च न्यायालय गये. सरकार के वकील द्वारा उपयुक्त दलील नहीं देने के कारण न्यायालय ने सरकार के निर्णय पर स्थगन का अंतरिम आदेश दे दिया. माननीय उच्च न्यायालय ने विगत अगस्त में अंतिम निर्णय दे दिया कि ये सभी आवेदक दो माह के भीतर सुनिश्चित करें कि इन्होंने अनियमिततायें/उल्लंघन दूर कर लिया है और सरकार इसे संपुष्ट करे. अन्यथा इनका खनन रोक दिया जाय. इनका पट्टा अस्वीकृत करने का सरकार का निर्णय भी न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें विहित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है.

इसके बाद होना यह चाहिये था कि सरकार इनके खनन पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू करे और विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये अन्य सभी लम्बित खनन पट्टों को भी अस्वीकृत करने की प्रक्रिया आरम्भ करे. परंतु सरकार ने उल्टे इन सभी खनन पट्टों को अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिये भेज दिया और मंत्रिपरिषद ने गत 28 दिसंबर 2016 की

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट – www.saryuroy.in

Scanned with OKEN Scanner

बैठक में इसे मान भी लिया. मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं था. अगले दिन मैंने इस बारे में आपसे बात किया. मुझे लगा आप हमारे अनुरोध पर गौर करेंगे. पर कल की बैठक में गौर करना तो दूर आप इस पर कुछ सुनने के लिये भी तैयार नहीं हुये.

मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहंता हूँ कि इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है. इस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष लाने का कोई औचित्य नहीं था. प्रासंगिक नियमों के अनुसार यह खान विभाग का मामला है. विभाग अपनी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद पर डाले यह उचित नहीं.
आश्चर्य है कि जिन्हें उच्च न्यायालय ने अनियमितितायें दो माह के भीतर दुरुस्त करने के लिये कहा उन्हीं पट्टों का अवधि विस्तार के विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया.

एम सी रूल 1960 के अनुसार जो खदानें दो साल से अधिक समय तक बन्द पड़ी हैं उनका पट्टा व्ययगत करने की विहित प्रक्रिया आरम्भ करने की जगह विभाग ने इनकी अवधि विस्तार का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद में भेज दिया और मंत्रिपरिषद ने इस पर मुहर भी लगा दिया. उल्लेखनीय है कि झारखंड के दो–चार को छोड़कर सभी लौह अयस्क पट्टे इसी श्रेणी मे हैं.

विडम्बना तो यह है कि अन्य सभी लंबित खनन पट्टों को भी थोक भाव से अवधि विस्तार का प्रस्ताव कैबिनेट को खान विभाग ने भेज दिया और कैबिनेट ने बिना जानने की कोशिश किये कि ये पट्टे किस चीज के हैं, कहां है, इनकी समीक्षा भी हुई है या नहीं, इन पर भी स्वीकृति दे दी. यह अनियमितता है. उन खनन पट्टों को भी, जो उल्लंघन के दोषी हैं, लंबे समय से बंद है. शाह कमीशन ने जिन पर पेनाल्टी लगाई है, न्यायालय ने जिन्हें उल्लंघन ठीक करने के लिये दो माह का समय दिया है, एम सी रुल 1960 के अनुसार जिन्हें व्ययगत होना चाहिये, कैबिनेट से अवधि विस्तार दिला देने से बढ़कर दूसरी विडम्बना क्या हो सकती है. मैं इन बातों को कैबिनेट के सामने रखना चाहता था पर ऐसा हो नहीं सका.

अन्य कई तकनीकी पहलू भी इस विषय के हैं जिनका उल्लेख कर मैं विषयवस्तु को बोझिल बनाना नहीं चाहता. आपको पता चल गया होगा कि भारत सरकार ने आर्सेलर मित्तल का सारंडा में स्टेज 2 का खनन प्रस्ताव आज खारिज कर दिया, इससे हमारी आंखें खुलनी चाहिये.

नियमानुसार अनियमितताओं और उल्लंघनों को दूर किये बिना जिन खदानों से खनन असंभव है उनके पट्टों का अवधि विस्तार देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाना उचित नहीं कहा जायेगा.

अनुरोध है कि आप इस पर पुर्नविचार करेंगे.

सादर,

भवदीय

सरयू राय 11.1.17

Scanned with OKEN Scanner